FORM No. III Crim - 1

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0)

रूपसिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी धौलपुर

किस्म मुकदमा प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बर 33/2020

जीसीएमएस नं0 2020/00082

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
12-02-2021	अपीलान्ट उपस्थित एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट रूपसिंह ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के विरूद्व इस आशय की अपील प्रस्तुत की है कि न्यायालय तहसीलदार सैपऊ द्वारा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रूपसिंह धारा 91एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांक 10.5.2006 में निर्णय पारित करते हुये नियमन की सिफारिश कर पत्रावली पत्र कमांक 341 दिनांक 23.5.2006 से उप खण्ड अधिकारी धौलपुर को भिजवाई गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट चाहे जाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के यहॉ आवेदन किया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रथम अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः सू.अ.अ./2021/182 दिनांक 4.2.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सैपऊ के पत्र कमांक 341 दिनांक 23.5.2006 से उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रूपसिंह की	

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के कार्यालय में भिजवाया जाना अंकित किया है जिसके संदर्भ में विस्तृत जांच कर तहसील कार्यालय सैपऊ से पत्र क्रमांक 341 दिनांक 23.5.2006 की प्रति मंगाई गई जिससे 6 पत्रावली प्राप्त हुई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा कथित पत्रावली सरकार बनाम रूपसिंह इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः हमने अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार को सुना तथा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/टिप्पणी का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता होता है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सैपऊ के पत्र क्रमांक 341 दिनांक 23.5.2006 से उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रूपसिंह की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के कार्यालय में भिजवाया जाना अंकित किया है जिसके संदर्भ में विस्तृत जांच कर तहसील कार्यालय सैपऊ से पत्र क्रमांक 341 दिनांक 23.5.2006 की प्रति मंगाई गई जिससे 6 पत्रावली प्राप्त हुई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा कथित पत्रावली सरकार बनाम रूपसिंह कार्यालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को प्राप्त नहीं हुई है इसलिये प्रार्थी/अपीलान्ट को सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। अतःअपीलान्ट की यह प्रथम अपील खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

नरेन्द्र के0 वर्मा
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर